भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *193

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिकल सेल रोग

***193. श्री राजकुमार रोतः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिकल सेल रोग के लिए अब तक कुल कितनी जांचें की गई हैं और वर्तमान में देश भर में सिकल सेल रोगियों की कुल संख्या का श्रेणी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसे रोगियों के उपचार के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर राजस्थान में, जिला/श्रेणी और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर में आनुवांशिक परामर्श कार्ड, दवाओं और टीकों के वितरण के साथ-साथ सिकल सेल से प्रभावित लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, मृत्यु दर का आकलन करने, विवाह-पूर्व परामर्श प्रदान करने और रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर बांसवाड़ा के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(घ) इसके अंतर्गत विशेषकर राजस्थान के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विचार गरीब और जनजातीय परिवारों को स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत जांच, निःशुल्क उपचार, विवाह-पूर्व परामर्श और टीकों के वितरण हेतु कोई विशेष योजना शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

01 अगस्त, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.193 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सिकल सेल रोग (एससीडी) के उन्मूलन के लिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) को 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग से ग्रसित सभी रोगियों को सस्ती, आसान एवं अच्छी परिचर्या का प्रावधान करना तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के सहकारी प्रयासों, जागरूकता सृजन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावित जिलों में 0-40 वर्ष के आयु वर्ग में वर्ष 2025-26 तक 7 करोड़ लोगों की लक्षित स्क्रीनिंग तथा उन्हें परामर्श देना है। एनएससीएईएम के तहत, जिला अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में जांच की जाती है। दिनांक 28.07.2025 की स्थिति के अनुसार, चिन्हित क्षेत्रों सहित 17 चिन्हित जनजातीय बहुल राज्यों में कुल 6,04,50,683 लोगों की जांच की गई है। प्रभावित राज्यों में जांच के माध्यम से पहचाने गए रोगियों का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

एनएससीएईएम के अंतर्गत, बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र सहित देश भर में जिला अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में जांच की जाती है। एससीडी से ग्रसित रोगियों को एएएम के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु निम्नलिखित सेवाएँ/सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं;

- नियमित अंतराल पर रोगग्रस्त व्यक्तियों का अनुवर्ती निदान
- जीवनशैली प्रबंधन, विवाह-पूर्व और प्रसव-पूर्व निर्णयों के संबंध में परामर्श देना।
- फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण के जरिए पोषण संबंधी पूरक सहायता प्रदान करना।
- योग और आरोग्य सत्र आयोजित करना।
- संकटकालीन लक्षणों का प्रबंधन और उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के लिए रेफर करना।

दिनांक 28.07.2025 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में 16,97,638 कार्ड सहित देश में कुल 2,62,67,997 जेनेटिक काउंसलिंग आईडी कार्ड वितरित किए गए हैं।

हाइड्रोक्सीयूरिया दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इसे उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/शहरी पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अनिवार्य औषधि सूची में शामिल किया गया है। एनएचएम के अंतर्गत, सिकल सेल एनीमिया के रोगियों द्वारा जेबी खर्च को कम करने के लिए हाइड्रोक्सीयूरिया के अधिप्रापण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के माध्यम से, जागरूकता और परामर्श सामग्री तैयार की गई हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित की गई है।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सिकल सेल एनीमिया की जाँच और दवाओं की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक राजस्थान के प्रभावित जिलों में एनएससीएईएम के अंतर्गत जिले-वार निधि आवंटन और उपयोग का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 28.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रभावित राज्यों में जांच के माध्यम से पहचाने गए रोगियों की कुल संख्या						
राज्यों के नाम	कराई गई कुल जांच	कुल रोगियों की संख्या				
		पीवीटीजी सहित एसटी	एससी	ओबीसी	अन्य	कुल
आंध्र प्रदेश	13,22,033	1,541	409	109	110	2,169
असम	10,73,410	25	34	130	97	286
बिहार	2,18,316	-	-	7	1	8
छत्तीसगढ़	1,54,40,569	3,207	1,929	6,087	14,937	26,160
गुजरात	77,34,861	25,282	465	1,809	622	28,178
झारखंड	26,86,659	707	327	895	216	2,145
कर्नाटक	3,49,319	531	28	12	8	579
केरल	1,76,690	1,162	22	154	131	1,469
मध्य प्रदेश	1,12,42,861	16,688	4,264	7,521	2,289	30,762

महाराष्ट्र	72,02,439	6,028	4,674	2,154	10,402	23,258
ओडिशा	45,46,309	15,525	21,284	21,180	38,495	96,484
राजस्थान	37,06,003	2,401	88	93	153	2,735
तमिलनाडु	3,76,357	278	36	37	125	476
तेलंगाना	10,71,585	327	120	21	20	488
उत्तर प्रदेश	7,63,236	9	3	12	8	32
उत्तराखंड	1,53,171	5	-	-	1	6
पश्चिम बंगाल	23,86,865	94	296	43	450	883
कुल	**6,04,50,683**	**73,810**	**33,979**	**40,264**	**68,065**	**2,16,118**

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक राजस्थान में एनएससीएईएम के तहत निधि अनुमोदन (जांच, जेनेटिक काउंसलिंग आईडी कार्ड और उपचार) और उपयोग का जिला-वार विवरण:

(राशि रुपये में.)

क्र.सं.	जिलों का नाम	कुल अनुमोदन	कुल उपयोग
1.	बांसवाड़ा	9,41,74,400	8,03,18,400
2.	डूंगरपुर	7,57,48,000	6,31,29,200
3.	प्रतापगढ़	3,80,48,200	3,36,47,200
4.	उदयपुर	10,01,89,500	8,94,23,800
5.	सिरोही	1,45,94,800	1,33,05,300
6.	राजसमंद	10,70,100	9,57,300
7.	चित्तौड़गढ़	11,16,000	9,65,300
8.	पाली	36,56,000	33,61,500
9.	बारां	84,23,000	58,62,500

*****